"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220-द]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2005—भाद्र 30, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/19/2005/वाक/पांच (45).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2004/वाक/पांच (13) दिनांक 23-2-2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अनुक्रमांक 1 के सामने कॉलम 2 में शब्दों "अनुसूची-2 के भाग-पांच के अनुक्रमांक 19 एवं 20 में विनिर्दिष्ट अनाज तथा दालें" के स्थान पर शब्दों "धान को छोड़कर अनुसूची-2 के भाग-पांच के अनुक्रमांक 19 एवं 20 में विनिर्दिष्ट अनाज तथा दालें" को प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन 1-10-2005 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ-10/19/2005/वाक/पांच (45).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2005/वाक/पांच (45) दिनांक 21-9-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 21st September 2005

NOTIFICATION

No. F-10/19/2005/CT/ V (45).—In exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the notification number F-10/6/2004/CT/V (13) dated 23-2-2004—

AMENDMENT

In Schedule to the said notification in column 2 against serial number 1 for the words "Cereals and pulses as specified in serial number 19 and 20 of part V of Schedule-II", the words "Cereals and pulses excluding paddy as specified in serial number 19 and 20 of part V of Schedule-II" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from 1-10-2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.